



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072025-265113
CG-DL-E-30072025-265113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3439]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2025/श्रावण 8, 1947

No. 3439]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2025/SHRAVANA 8, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2025

का.आ. 3522(अ).— समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना सं. 51/2024-25 दिनांक 20 जनवरी, 2025 में संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में, फा. सं. एम-5012/300/2002/पीसी-2(ए)/ई-1657' और 'भाग-I, खण्ड 1' को क्रमशः 'सा.आ. (अ) और 'भाग-II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii)' पढ़ा जाए।

[फा. सं. एम 5012/300/2002/पीसी-2[ए]/ई-1657]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 28th July, 2025

S.O. 3522(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), read with paragraphs 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2023, as amended from time to time, the Central Government makes an amendment in the Gazette Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce & Industry, No. 51/2024-25 dated the 20th January, 2025.

2. In the said Notification, the 'F.No. M-5012/300/2002/PC-2(A)/E-1657' and '*Part-I, Section 1*' may be read as 'S.O..... (E)' and '*Part-II, Section 3, Sub-section (ii)*', respectively.

[F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/E-1657]

AJAY BHADOO, Director General of
Foreign Trade & Addl. Secy.